रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 1976 पौष 30, 1897
No. 37] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 1976 PAUSA 30, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 17th January 1976

S.O. 46(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Ordinance, 1975 (13 of 1975) the Central Government, being requested so to do by Central Bank of India, establishes, with effect from 20th January, 1976, a Regional Rural Bank in the State of Madhya Pradesh under the name of Kshetriya Gramin Bank Hoshangabad which shall operate within the local limits of the districts of Hoshangabad and Raisen in the State of Madhya Pradesh

[No F 4-74/75-AC (I)]

वित्त मंत्रालय

(बैंकिंग विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1976

का० आ० 46(अ) —क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश, 1975 (1975 का 13) की धारा (3) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सेंट्रल बैंक

ग्राफ इण्डिया के अनुरोध पर मध्य प्रदेश में 20 जनवरी, 1976 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद नामक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है। यह बैंक मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद और रायसेन जिलों की स्थानीय सीमाओं में अपना कारोबार करेगा ।

[सं० एफ० 4–74/75–ए० सी० (I)]

S.O. 47(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Ordinance, 1975 (13 of 1975), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Central Bank of India, by which Kshetriya Gramin Bank, Hoshangabad has been sponsored, specifies Hoshangabad as the place where Kshetriya Gramin Bank, Hoshangabad shall have its head office.

[No. F. 4-74/75-AC(II)]

N. C. SEN GUPTA, Secy.

का० आ० 47(अ).—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश, 1975 (1975 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद के प्रायोजक सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया के परामर्श से होशंगाबाद को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद का मुख्य कार्यालय होगा ।

[सं० एफ० 4–74/75–ए० सी० (II)]

निर्मल सेन गुप्ता, सचिव ।

(Department of Banking)

New Delhi, the 20th January 1976

S.O. 48(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of Clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Kshetriya Gramin Bank, Hoshangabad, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Ordinance, 1975 (13 of 1975).

[No. F. 4-74/75-AC (III)]

K. P. A. MENON, Jt. Secy.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1976

का० आ० 48(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (III) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद को उक्त उप-खण्ड के प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश, 1975 (1975 का 13) की धारा 3 की उप-धारा (I) के अन्तर्गत स्थापित संस्था के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं० एफ० 4–74/75-ए० सी० (III)]

के० पी० ए० मेनन, संयुक्त सचिव ।

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Banking Operations and Development)

Madras, the 20th January 1976

S.O. 49(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:—

Kshetriya Gramin Bank, Hoshangabad.

[No. DBOD 108/INCL/C, 102-76]

R. K. HAZARI, Dy. Governor.

भारतीय रिजर्व बैंक

(बैंकिंग परिचालन तथा विकास विभाग)

मद्रास, 20 जनवरी, 1976

का० आ० 49(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाए, अर्थात् :—

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद ।

[सं० डी बी ओ डी 108/आई एन सी एल/सी, 102-76]

आर० के० हजारी, उप गवर्नर ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1976